कार्यालय- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकाने

क्रमांक:- शिविरा / माध्य / पेंशन-रिथरी / 2023

दिनांक :- 01.05.2023

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।

अत्यावश्यक

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक।

विषय :- पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 में वेतन स्थिरीकरण हेतु विकल्प /पुर्न विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत ।

प्रसंग :- वित्तं विभाग के (नियम अनुभाग) का ज्ञापन क्रमांक : एफ.15(85) एफडी / रूल्स / 2017 जयपुर दिनांक 01.05.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विन्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ने प्रासंगिक आदेश द्वारा इच्छुक समस्त राजकीय कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 में वेतन स्थिरीकरण हेतु दिनांक 31.07.2023 तक विकल्प /पुर्न विंकल्प प्रस्तुत करने की अनुमित प्रदान की गई है । आपके कार्यालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों के जो भी कार्मिक पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 में वेतन स्थिरीकरण हेतु विकल्प /पुर्न विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं वे अपना विकल्प /पुर्न विकल्प अपने कार्यालयाध्यक्ष को दिनांक 31.07.2023 तक प्रस्तुत करे ।

विकल्प / पूर्न विकल्प प्रस्तुत करने के उपरान्त वेतन स्थिरीकरण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक कार्यालय, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालय, में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी, प्रथम / लेखाधिकारी

द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करावें । संतर्का :- आसेजिह पत्र

सत्यमेव जयते

(संजय धवन) वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) संयुक्त निदेशक (कार्मिक), कार्यालय हाजा।

2) उप निदेशक (प्रशासन/समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा।

3) प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।

4) प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स, बीकानेर।

5) प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।

6) सहायक निदेशक, संस्थापन-एबी/एफ/सी-1,2,3,4/सामान्य प्रशासन, कार्यालय हाजा।

7) सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।

8) समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

9) समस्त पीईईओ/यूसीईईओ/प्राचार्य, राउमावि।

10) अधिनस्थ कार्यालयों में लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी प्रथम को भेजकर लेख है कि शासंगिक ज्ञापन अनुसार आपके कार्यालय के अधिनस्थ कार्मिकों का नियमानुसार वेतन स्थिरीकरण करावें ।

> वित्तीय सलाहकार ³ माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (RULES DIVISION)

MEMORANDUM

No. F.15(85)FD/Rules/2017

Jaipur, Dated: 01-05-2023

Subject:- Permission for exercise of option / re-option under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017.

The Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 have been promulgated with effect from 01.10.2017 vide Finance Department Notification No. F.15(I)FD(Rules)/2017 dated 30.10.2017. These rules have further been modified and made effective w.e.f, 01.01.2016 instead of 01.10.2017 vide FD Notification of even number dated 09.12,2017. The Rules 8 and 9 of these rules provide for exercise of option within three months.

It has been brought to the notice of the Government that some of the Government servants could not exercise option within the time limit prescribed under Rule 9(1) and in terms of provisions contained in sub-rule (3)(i) and (4) of Rule 9, they were deemed to have exercised option for revised pay scales 2017 w.e.f. 01.01.2016, which might have resulted in a recurring disadvantageous position. Likewise, some of the Government servants have exercised option incorrectly without understanding the proper implications of the rules governing fixation of pay. The exercise of such incorrect option has put them to recurring financial loss.

The matter has been considered sympathetically and it has been decided that all Government servants may be permitted to exercise option / re-option under Rule 8 and 9 of the aforesaid rules upto 31st July, 2023. In case of change of earlier option, the excess amount of pay and allowances already drawn on account of fixation of pay under these rules shall be deposited by the concerned incumbent in lump sum.

(Rohlt Gupta)
Secretary to the Government
Finance (Budget)